कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर।

संख्या-385 / नि0आब0दु0 / व्यव0 / ई-टेण्डर / हमीरपुरः दिनांकः जुलाई २५ , 2019

आबकारी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी हमीरपुर के आदेश संख्या- 365 / दे0श0 / हमीरपुर नं0-1 (सुभाष बाजार) / निरस्तीकरण / हमीरपुर / 2019-20 जुलाई 23, 2019 द्वारा देशी शराब दुकान हमीरपुर नं0-1 (सुभाष बाजार) तथा जिलाधिकारी हमीरपुर के आदेश संख्या- 369 / बियर दु0 / कुरारा नं0-1(बस अड्डा) / निरस्तीकरण / हमीरपुर / 2019-20 जुलाई 23, 2019 द्वारा बियर दुकान कुरारा नं0-1 (बस अड्डा) वर्ष 2019-20 का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया गया है। उक्त दुकानों के निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2019-20 की अवशेष अवधि हेतु पुर्नव्यवस्थापन आबकारी नीति वर्ष 2019-20 के प्रस्तर 2.7.7- दुकानों का मध्य सत्र में व्यवस्थापन के अनुपालन मे ई-टेण्डर / ऑफर के माध्यम से कराया जायेगा। तद्क्रम में ई-टेण्डर / ऑफर हेतु समयसारणी एवं प्रकिया निम्नवत् है:-

1.	Tender Publishing date-	25-07-2019 at 15:30 |
2.	Document Download Start date-	25-07-2019 at 15:30 |
3.	Document Download end date-	05-08-2019 at 09:00 |
4.	Pre bid Meeting date-	01-08-2019 at 11:00 |
5.	Bid Submission Start date-	28-07-2019 at 17:30 |
6.	Bid Submission Closing date-	06-08-2019 at 09:30 |
7.	Technical bid Opening date-	06-08-2019 at 10:00 |
8.	Financial bid Opening date-	06-08-2019 at 11:00 |
9.	The place of bid Opening-	Dr.A.P.J.Abdul Kalam Sabhagar,Collectrate Hamirpur |
10.	Tender Inviting Offieer-	Collector |

ऑनलाइन टेण्डर डॉक्यूमेंट (टू बिड सिस्टम) नियम व शर्तें निम्नवत् है :-

1. देशी मदिरा की निरस्त दुकान के व्यवस्थापन हेतु अवशेष अवधि के लिए वर्ष 2019-20 के निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 पर ई-टेण्डर / ऑफर के माध्यम से प्राप्त सर्वोच्च ऑफर पर व्यवस्थापन किया जायेगा।
2. बियर की निरस्त दुकान के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस पर ई-टेण्डर के माध्यम से प्राप्त सर्वोच्च ऑफर पर व्यवस्थापन किया जायेगा। ई-टेण्डर हेतु उक्त दोनो दुकानों की सूची जनपद की बेवसाइट- **www.hamirpur.nic.in** पर उपलब्ध है।
3. देशी मदिरा की दुकानों के सन्दर्भ में उपरोक्तानुसार चयनित ऑफर में सर्वाधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0 (12 के गुणांक में) में से व्यपगत अवधि के एम0जी0क्यू0 को घटाकर वर्ष की अवशेष अवधि हेतु एम0जी0क्यू0 निर्धारित किया जायेगा। तद्नुसार बेसिक लाइसेंस फीस जमा की जायेगी। इसी प्रकार बीयर की दुकान अवशेष अवधि की लाइसेंस फीस समानुपातिक रूप से आंकलित करते हुए रू0 5000/- के अगले गुणांक में निर्धारित की जायेगी। किसी दुकान पर दो या दो से अधिक समान ऑफर प्राप्त होने पर आवेदक का चयन मैनुअल लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
4. आवेदक, ऑनलाइन ऑफर प्रकाशन की तिथि तक 21 वर्ष से कम आयु का नही होना चाहिए तथा वह भारत का नागरिक हो।
5. प्रत्येक आवेदक / ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) **भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा www.etender. up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा।**
6. आवेदक के पक्ष में सम्बन्धित जनपद में यदि कोई दुकान पूर्व में आवंटित हुई हो तो उसका विवरण आवेदक द्वारा देना अनिवार्य होगा। **प्रत्येक दुकान हेतु पृथक आवेदन,मूल धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट तथा पृथक से ऑनलाइन ऑफर प्रस्तुत किया जायेगा।**
7. किसी आवेदक के पक्ष में एक जनपद में सभी प्रकार (देशी शराब, विदेशी मदिरा व बियर) की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नही की जायेगी, जिसमें पूर्व आवंटित दुकानें भी सम्मिलित होगी।
8. **टेक्निकल बिड सेक्शन में आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्न प्रपत्र की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। 1- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, 2- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र 10 रू0 के नॉन ज्यूडिसियारी स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित, 3- पैन कार्ड, 4- आधार कार्ड, 5-हैसियत प्रमाण पत्र / आयकर वैल्युवर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण पत्र 6- मदिरा की दुकानों की प्रोसेसिंग शुल्क रू0 18000/- एवं उस पर जी0एस0टी0 18 प्रतिशत धनराशि की एन0ई0एफ0टी0 / आर0टी0जी0एस0** से भुगतान की बैंक रसीद की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पी0डी0एफ0 फार्मेट में अपलोड करनी होगी।
9. **फाइनेंसियल बिड सेक्शन में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट जिला आबकारी अधिकारी, हमीरपुर के पक्ष में बना होना चाहिए। वित्तीय निविदा (निर्धारित प्रारूप टेण्डर डाक्यूमेन्ट का भाग-2) एवं वांछित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी को ही पी0डी0एफ0 फार्मेट में अनिवार्य रूप से अपलोड की जायेगी।**
10. ई-टेण्डर प्रकिया में सम्मिलित दुकान की प्रोसेसिंग फीस व जी0एस0टी0 की निर्धारित धनराशि आर0टी0जी0 एस0 / एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग) और सहायक लेखाधिकारी उत्तर प्रदेश, एक्साइज **(DEC L AND AAO UPEXCISE PRAYAGRAJ)** के पद नाम से **पंजाब नेशनल बैंक**, विपुल खण्ड,

लखनऊ स्थित बचत खाता संख्या **4483000100050375**, आई0एफ0एस0सी0 कोड **PUNB0448300** में जमा करना होगा। आवेदन पत्र के टेक्निकल बिड सेक्शन में भुगतान से सम्बन्धित यू0टी0आर0 नम्बर भरा जायेगा।

11. आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया वेबसाइट **www.etender.up.nic.in** पर संपादित की जायेगी तथा उक्त दोनो दुकानों का आवंटन प्राप्त करने हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ई–टेण्डर/आफर का आवेदन किया जायेगा। आवेदक को ऑनलाइन ऑफर करने पर बिड एक्नालेजमेंट प्राप्त होगा यह एक्नालेजमेंट ही ऑनलाइन आवेदन किये जाने का प्रमाण पत्र होगा। इसके आधार पर ही वह निविदा खुलते समय हाल में प्रवेश पा सकेगा। आवेदक ऑनलाइन बिड सब्मीशन की अन्तिम तिथि व समय से पूर्व अपनी बिड को संसोधित कर सकता है। या वापस ले सकता है।
12. **मदिरा की दुकान हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस के सापेक्ष अधिकतम ऑफर दाता को मदिरा दुकान आवटित की जायेगी। यदि किसी आवेदक को दुकान पूर्व में आवंटित हो गयी हो अथवा वह निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करता हो तो उसके स्थान पर सम्बन्धित आवेदक के बाद के उच्चतम ऑफर दाता (अवरोही कम से) के पक्ष में दुकान का व्यवस्थापन कराया जायेगा।**
13. Technical Evaluation में सही पाये गये आवेदकों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। Technical Evaluation के खोलने के समय आवेदक या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। Technical Evaluation में सफल आवेदकों की सूची ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।
14. आवेदक द्वारा गलत तथ्य Corrupt & Fraud Practice करने पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
15. व्यवस्थापन की शर्ते इसके पूर्व के व्यवस्थापन के समान ही पूर्वत् रहेगी।
16. इच्छुक व्यक्ति क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक एवं कार्यालय जिला आबकार अधिकारी से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। दुकानों की सूची निम्नवत् है–

ई–टेण्ड़र/ऑफर हेतु दुकानों का विवरण जनपद हमीरपुर।

देशी मदिरा दुकान का विवरण

क0 सं0	दुकान का नाम	Shop ID	प्रास्थिति	2019-20 हेतु निर्धारित वार्षिक M.G.Q. (36 % v/v BL)/	निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस (रू0में) एम0जी0 क्यू0×30	निर्धारित लाइसेंस फीस एम0जी0 क्यू0×222	निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एम0जी0क्यू0×22 2	धरोहर धनराशि बे0ला0फी0 का 10%	आवश्यक हैसियत प्रमाण पत्र अथवा आयकर वैलूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	हमीरपुर न0–1 सुभाष बाजार)	**4408**	नगर पालिका	44880	1346400	9963360	996336	134640	1884960

बियर मदिरा दुकान की सूची

क0 सं0	दुकान का नाम	शॉप आई0 डी0	प्रास्थिति	वर्ष 2019–20 की निर्धारित वार्षिक लाइसेसं फीस रू0 में0	प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का 10% रू0 में	धरोहर धनराशि ला0फी0 का 10% रू0 में	आवश्यक हैसियत प्रमाण पत्र अथवा आयकर वैलूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र रू0 में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुरारा न0–1 (बस अड्डा)	15154	नगर पंचायत	215000	21500	21500	215000

(प्रवीण कुमार द्विवेदी)
जिला आबकारी अधिकारी,
हमीरपुर।

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

संख्या 386-92 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा जोन, आगरा।
3. उप आबकारी आयुक्त, चित्रकूटधाम प्रभार, बांदा।
4. जिला सूचना अधिकारी, हमीरपुर।
5. निदेशक NIC हमीरपुर को इस अनरोध से कि जनपद की वेबसाइट पर उक्त विज्ञप्ति को अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, अमर उजाला समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं सरकारी दर से प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु जिला सूचना अधिकारी, हमीरपुर से सत्यापित कराकर इस कार्यालय को दो प्रतितियों में प्रेषित करने का कष्ट करे।
7. आबकारी निरीक्षक अपराध निरोधक क्षेत्र–1 जनपद हमीरपुर को इस निर्देश से कि व्यापक प्रचार–प्रसार कर उक्त दोनों दुकानों का व्यवस्थापन कराया जाना सुनिश्चित करे।

24.7.19

जिला आबकारी अधिकारी,
हमीरपुर